राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4160/2025

डॉ अशोक कुमार कुमावत

–अपीलार्थी

बनाम

सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.09.2025
सुनवाई की दिनांक : 15.09.2025
आदेश की दिनांक : 15.09.2025
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी दिनांक 25.8.2025 के आदेश को चुनौती दे रहा है जिसके तहत अपीलार्थी को उप जिला अस्पताल अजीतगढ़ से एपीओ के रूप में स्थानांतरित किया गया था। आर.एस.आर. के नियम 25–ए और प्रतिबंध अवधि का उल्लंघन करते हुए सीकर से निदेशालय जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। (अनुलग्नक–1) उक्त आक्षेपित आदेश के अनुपालन में प्रत्यर्थी संख्या 3 को दिनांक 26.8.2025 के आदेश द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। (अनुलग्नक–1) उक्त एपीओ आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 26.08.2025 को निदेशालय, जयपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है तथा वर्तमान में एपीओ के रूप में निदेशालय, जयपुर में उपस्थिति दर्ज करा रहा है। अपीलार्थी को वर्ष 2011 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धभावली ब्लॉक अजीतगढ़ जिला सीकर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। प्रतिवादी विभाग के आदेश दिनांक 15.2.2022 द्वारा वर्तमान तैनाती स्थल पर तैनात किया गया है। अपीलार्थी ने 16 फरवरी 2022 को कार्यभार ग्रहण किया है और तब से निरंतर कार्यरत है। (अनुलग्नक–3) उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रेड प), विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.01.2023 और 03.01.2024 के अनुसार, राज्य के सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण/पदस्थापन/एपीओ पर पूर्ण प्रतिबंध है और अत्यावश्यक प्रकृति के स्थानांतरण माननीय मुख्यमंत्री की सहमति के बाद किए जाएँगे। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता का स्थानांतरण प्रतिबंध अवधि के दौरान किया गया था। प्रतिवादियों ने दिनांक 04.01.2023 का एपीओ आदेश भी पारित

किया है। दिनांक 25.8.2025 को प्रतिबंध अवधि में पारित किया गया था। अतः, आक्षेपित आदेश सरकार द्वारा पारित आदेश पर विचार किए बिना पारित किया गया था और इसे प्रतिबंध अवधि में पारित किया गया है, अतः इसे निरस्त एवं अपास्त किया जाना उचित है। (अनुलग्नक–4)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि आलौच्य आदेश दिनांक 25.8.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 26.8.2025 (अनुलग्नक–1 व 2) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को कनिष्ठ विशेषज्ञ (चिकित्सा) जिला सीकर के पद पर जारी रखने का निर्देश दिए जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर चुका है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 15 दिवस की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष